प्रेषक

निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/डा० एस०पी०एम० (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ/डा० आर०एम०एल० चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ/ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती/यू०एच०एम० चिकित्सालय, कानपुर।
समस्त प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, फैजाबाद, इलाहाबाद।
समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय, उ०प्र०।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय, लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ, टी०बी० चिकित्सालय, लखनऊ/तेलियरगंज, इलाहाबाद, मानसिक चिकित्सालय, बरेली/वाराणसी, एस०आर०एन० चिकित्सालय, मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय, टी०बी० सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद।
अपर निदेशक, मलेरिया, जवाहर भवन, लखनऊ।
अपर निदेशक, राज्य विधि विशेषज्ञ, ऐशबाग, लखनऊ।
सयुंक्त निदेशक, मातृ शिशु कल्याण, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, लखनऊ।
अपर निदेशक, राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ/वाराणसी।
प्रधानाचार्य, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ।
संयुक्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।

पत्र संख्या:–4डी(1)/438/2017/ लखनऊ : दिनांक : 22/12/2017

विषय:– स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों/चिकित्सालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (समूह–घ) का लिपिक वर्गीय (समूह ग) के पदों पर प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–4डी(1)/438/2017/4722, दिनांक 05.12.2017 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों/चिकित्सालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (समूह–घ) का लिपिक वर्गीय (समूह ग) के पदों पर प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग–2 के पत्र संख्या–22/09/कार्मिक–2–2001, दिनांक 22.12.2001 द्वारा जारी अधिसूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह–'ग' के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली–2001 के अन्तर्गत अर्हताओं वाले इच्छुक गैर तकनीकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवेदन पत्र एवं समस्त अभिलेख उनके प्रमाणित शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों, नियुक्ति आदेश, सेवा पुस्तिका की प्रथम व द्वितीय पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उनकी चरित्र पंजिका स्पष्ट अंकन के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपनी संस्तुति/अभ्युक्ति सहित दिनांक 20.12.2017 तक दो प्रतियों में कर्मचारी का अलग–अलग फोल्डर बनाकर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि छूटे हुये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आवेदन पत्र दिनांक 05.01.2018 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त कराये गये आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे। यदि किसी कर्मचारी का आवेदन पत्र समयन्तर्गत कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया जाता है और उसके द्वारा किसी भी प्रकार का वाद/विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

अपर निदेशक
(मुख्यालय परिचिगन)

.... 2 —

Rajc/909

पत्र संख्या-4डी(1)/438/2017/ 5713-15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-4
2. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र व निर्धारित प्रारूप को विभागीय साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

अपर निदेशक
(मुख्यालय परिवार)

Rajc/910